# कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
## सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 912/318/आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 28/10/2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण हेतु महाविद्यालयों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ– 1. उच्च शिक्षा, मंत्रालय, आदेश कमांक 949/2020/सी.सी./2020/38, भोपाल दिनांक 31.07.2020

2. कार्यालयीन पत्र कमांक 562/243/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 31.08.2019

3. कार्यालयीन पत्र कमांक 720/254/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 26.09.2020

---000---

उच्च शिक्षा, विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा सत्र 2020–21 के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए है। प्रवेश नियम की कंडिका 15.6.3 के परिपालन में सत्र 2020–21 में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश की प्रकिया निम्नानुसार पूर्ण की जाना है –

1. समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय दिनांक 03.11.2020 से दिनांक 10.11.2020 के मध्य विद्यार्थी की अर्हता का परीक्षण कर, स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के पोर्टल (एम.पी. ऑनलाइन द्वारा प्रदाय विश्वविद्यालय के subdomain उदाहरण के लिए https://jiwaji.mponline.gov.in) पर महाविद्यालय के G2G लॉगिन (पूर्व से प्रदाय नामांकन एवं परीक्षा कार्य हेतु) कर "ePravesh2nd/3rd UG and Final Yr PG Promotion" लिंक 'प्रमोट' बाक्स पर क्लिक कर विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रमोट करेंगे।

2. महाविद्यालय समस्त सुसंगत प्रविष्टियों का अवलोकन कर ऑनलाइन सत्यापन करते हुए प्रवेश शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के लिए लिंक इनीशियेट करेगा।

3. पोर्टल पर प्रमोट की कार्यवाही जैसे–जैसे पूर्ण होती जाएगी वैसे–वैसे विद्यार्थी दिनांक 05.11.2020 से दिनांक 30.11.2020 तक उच्च शिक्षा विभाग के **ई–प्रवेश पोर्टल** (https://epravesh.mponline.gov.in) पर नामांकन कमांक के माध्यम से प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त की राशि रूपये 500/– ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। प्रवेश शुल्क की शेष राशि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किश्तों में ऑनलाइन, महाविद्यालय आरंभ होने पर जमा की जाएगी।

4. महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यकम में प्रवेश शुल्क की कुल राशि 500/– रूपये से कम होने पर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क देय होगा।

5. विद्यार्थी द्वारा ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात् पोर्टल से प्रिन्ट आउट प्राप्त कर एक प्रति महाविद्यालय आरंभ होने पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

6. स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण का कार्य सामान्य तौर पर महाविद्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यालयीन स्टॉफ के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये। अति आवश्यक होने पर ही उक्त कार्य हेतु शैक्षणिक स्टॉफ का सहयोग लिया जाए।

7. ऑनलाइन ई–प्रवेश प्रकिया में ऑफलाइन प्रवेश की अनुमति प्राप्त समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थान/महाविद्यालय निर्धारित ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश नवीनीकरण की प्रकिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण की कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

"अपर आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

27/10/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांकः 913 /318/आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 28 /10/2020

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. निदेशक/प्राचार्य, समस्त ऑफलाइन प्रवेश प्रकिया से संबंधित संस्थान/महावि. मध्यप्रदेश।
6. समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

.................. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश